तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट बामनगांव में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां से रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का ख.नं. 1872 मौके एवं रिकार्ड अनुसार ख.नं. 1889 गै.मु.रास्ते के लगवा स्थित है। प्रार्थीगण का स्वयं का संयुक्त खातेदारी के ख.नं. 1872 रास्ते से लगवा है। हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए खसरा नम्बर के लगवा मौके पर रास्ता मौजूद है। अतः अन्य रास्ता दिया जाने की आवश्यकता नही है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:37:59 IST
Reason: SelfAttested